फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री [illegible] बनाम विपक्षी : श्री राम व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 60/23

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 27.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी मय विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया जा चुका है बावजूद विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः विपक्षीगण का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना मे वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि मे विपक्षी संख्या 1 से 12 व अन्य किसी का कोई हक, हिस्सा, स्वामित्व नहीं है। यह भूमि प्रार्थी के एकल खातेदारी स्वामित्व कब्जे काश्त की है। प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 से 7 तथा विपक्षी संख्या 9, 10, 11, 12 के पिता मोतीजी तथा विपक्षी संख्या 13 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जी कानोड के विरूद्ध माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जी भीण्डर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 का प्रार्थना पत्र की कलम नम 2 मे वर्णित भूमि का पत्थरगढी कराने हेतु पेश किया, जो दिनांक 27.06.2022 का निर्णित हुआ, जिसमें पत्थरगढी करने का आदेश फरमाया गया। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना मे कलम न. 2 मे वर्णित भूमि की पत्थरगढी दिनांक 15.06.2023 को की गई। उसी रोज दांहयर बाद विपक्षी परथा और उसका पुत्र किशनलाल विपक्षी नन्दलाल, मेरुलाल विपक्षी रामा का पुत्र हेमराज और स्व. मोती के पुत्र विपक्षी संख्या 9, 10, 11 इन आठो व्यक्तियों राजकीय कर्मचारियों द्वारा सक्षम न्यायालय के आदेश की पालना मे पत्थरगढी करा कर पत्थर रोपाये गये, जो दिनांक 15.06.2023 को दोपहर बाद इन्होने वादग्रस्त आराजीयात में से आराजी न. 5445, 5077, 5076 एवं 4950 की सीमा पर लगे पत्थरों को उखाड कर फेंक दिये। प्रार्थी और उसके बेटे ने मना किया तो इन लोगो ने जान से मारने की धमकी दी जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि [illegible] खातेदार है। प्रार्थी द्वारा मूल वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश [illegible] पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर विपक्षीगण द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि [illegible] दखलअंदाजी करने [illegible] विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि मे प्रार्थी खातेदार हैं जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हित निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 14:51:50 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं है जिससे विपक्षीगण को पाबन्द किये जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। अन्य बिन्दुओं का मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किये पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा हिंता पटवार हल्का हिंता तहसील कानोड हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी सवत् 2078–81 खाता संख्या नया 174 की आराजी नम्बर 3597, 3606, 3608, 4948, 4950, 4951, 5076, 5077, 5445, 5448 किता 10 रकबा 4.0600 हैक्टयर भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें। प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में दखलअंदाजी नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 14:51:50 IST
Reason: SelfAttested